संख्या—   /जी0एस0/शिक्षा/A11-110(1)/2015

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 25 जुलाई, 2017**

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 1240/SDSUV/Affi-2014-15 दिनांक 15.01.2015 के क्रम में शासन द्वारा पत्रावली संख्या 03 (78)/15 पर प्राप्त संस्तुति व पत्र संख्या 506/SDSUV/Affi/2017 दिनांक 01.06.2017 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अधीन निम्न संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	दून इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च, श्यामपुर, ऋषिकेश	बी0एससी0 (एग्रीकल्चर)	60 सीट	शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु

1. **संस्थान को उक्त सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्थान** 02 माह के भीतर आवश्यक रूप से पुस्तकालय में मानकानुसार पुस्तकों का क्रय कर लेगा।
2. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियॉ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
4. छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत् उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

क्रमशः— 2 पर

5. संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, शासन, एवं मा0 कुलाधिपति के आदेशों / निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
6. छात्रों से विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्व विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
7. यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति / शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठयक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
8. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी के सदस्यों के वेतन का भुगतान बैंक में फैकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय--समय पर विश्वविद्यालय / निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्थान के सम्बन्धित पाठयक्रम को रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
9. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 छात्र / छात्राओं को नियमानुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
10. संस्थान द्वारा उक्त शर्तो का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी। अन्यथा अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 1535 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A11-110(1) /2015 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान।
4. उच्च शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह [illegible])
उपसचिव श्री [illegible]